राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1982/2011/भीलवाड़ा

मैसर्स भारत स्पोर्टस,
भीलवाड़ा। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत्त–बी,
भीलवाड़ा । .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :
श्री एम.पी.शर्मा,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.08.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 91/वैट/2010–11 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–बी, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2010 के अन्तर्गत वैट अधिनियम की धारा 23/24 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के प्रस्तुत की गयी है। जिसमें लगाई गई शास्ति 2,500/– को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसाई का दिनांक 23.03.2010 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–बी, भीलवाड़ा में वर्ष 2007–08 के कर निर्धारण आदेश में चारो तिमाही रिटर्न एवं वैट 10ए विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण रूपये 2,500/– शास्ति आरोपित की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2011 द्वारा उक्त शास्ति में रूपये 775/– की राहत प्रदान कर शेष शास्ति रूपये 1,725/– यथावत रखी है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने कर बोर्ड में अपील की ओर निवेदन किया कि विशिष्ट नोटिस के अभाव में आरोपित शास्ति अपास्त की जावे।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया एवं राजस्व की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिक बताया एवं उसे यथावत रखने का निवेदन किया।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. पत्रावली रिकॉर्ड के अनुसार व्यवसाई को सुनवाई हेतू विशिष्ट नोटिस दिया गया है व पत्रावली के पृष्ठ संख्या 28 पर उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी का यह कथन सही नहीं है कि रिटर्न की शास्ति आरोपित करने से पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती। इसलिये इसे यथावत रखा जाता है।

6. अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य